न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 53/2024

गायत्री पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 2, फतेहगढ़, खिलेरीवास तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व), हनुमानगढ
2. मीरा पत्नी भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. माया पुत्री सतपाल जाति कुम्हार निवासी मघांवाला चक पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. मनीष पुत्र सतपाल निवासी मघांवाला चक पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. मुकेश पुत्र सतपाल निवासी मघांवाला चक पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. विजय कुमार पुत्र जगदीश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 2, फतेहगढ़, खिलेरीवास तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. अजय कुमार पुत्र जगदीश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 2, फतेहगढ़, खिलेरीवास तहसील व जिला हनुमानगढ।।
8. अर्चना कुमारी पुत्री जगदीश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंबर 2, फतेहगढ़, खिलेरीवास तहसील व जिला हनुमानगढ। —

रेस्पोंडेंट।

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 713 दिनांक 23.09.2024 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा इन्तकाल दर्ज किया गया बमुराद मनसुखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः— 1. श्री रामकुमार बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक (रेस्पो0 सं0 01)
3. श्री छगनलाल सिडाना अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 ता5
4. श्री रवि कुमार गोदारा अभिभाषक रेस्पों0 सं0 6 ता 8

—:निर्णयः—

दिनांकः —28.03.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट संख्या 01 के ससुर तथा रेस्पोडेन्ट 02 व 03 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 के नाना और रेस्पोंडन्ट संख्या 06 ता 08 के दादा, कृष्ण पुत्र श्रीराम के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 25 एस एस डब्यलु में भूमि दर्ज कागजात थी जो निम्न प्रकार है—चक न. 25 एस एस डब्लयु खाता न.27/17 प0न 104/304 मु.न. 15 किला नं. 15/1/0.165,16,17,24,25 सालम प0न 105/304 मु.न. 14 किला नं. 1/1/0.177,10 ता 12 19 ता 23 सालम प0न 105/305 मु.न. 20 किला नं. 1/1/0. 228,1/2/0.0250, 2/1/0.228, 2/2/0.0250, 10 सालम मय गैरमुमकिन रास्ता कुल किता 19 जो नहरी 4.0870 है0 व गैर मुमकिन रास्ता 0.0500 इस प्रकार कुल 4.1370 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्ट के ससुर स्व0 कृष्ण ने उक्त चक की समस्त 4.1370 है0 भूमि का बैयनामा अपीलाण्ट के पक्ष में कर चुका था उक्त भूमि के प्रतिफल स्वरूप अपीलाण्ट से 10 लाख रूपये नगद प्राप्त कर चुका था उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलाण्ट को सौंप चुका था। उक्त भूमि की वसीयत करने का स्व0 कृष्ण पुत्र श्रीराम को कोई अधिकार नही था। कृष्ण जो काफी वृद्ध था जो कि मानसिक रूप से भी कमजोर था जिसके समझने की स्थिती भी बहुत कमजोर थी व अपने अन्तिम समय में रेस्पोडेन्ट सख्या 02 के पास था। जिसने कृष्ण की उक्त अवस्था का फायदा उठाते हुये कुटरचित वसीयत तैयार की क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि मात्र कृष्ण के नाम थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को यह जानकारी थी कि कृष्ण उक्त भूमि का जरिये इकरारनामा दिनांक 28.03. 2017 को रोबरू गवाहन बेचान कर चुका है और अपीलाण्ट उक्त इकरारनामा की पालना हेतू एक वाद अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 हनुमानगढ़ में विचाराधीन है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जो अपीलाण्ट की ननंद है रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 के लम्बित वाद गायत्री बनाम मीरा में पक्षकार है। उसे यह जानकारी होते हुये भी कि उक्त भूमि इकरारनामा द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में कृष्ण द्वारा बेचान की जा चुकी है। फिर भी अपीलाण्ट के अधिकारो पर कुठाराघात करते हुये अपने पिता कृष्ण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने के कारण कुटरचित वसीयत तैयार कर उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचित वसीयत द्वारा नामान्तरण करवा लिया। जबकि आज भी उक्त भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। तत्पश्चात भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बिना कोई जांच किये आक्षेपित नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा आक्षेपित नामान्तरण संख्या 713 दिनांक 23.09.2024 से अपीलाण्ट विपरित रूप से प्रभावित है तथा अपीलाण्ट निम्नलिखित आधारो पर चुनौती देते हुये अपील पेश करता है–कि आक्षेपित नामान्तरण आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ ने अपीलाण्ट के पीठ पिछे पारित किया है। आक्षेपित नामान्तरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सूचना सम्प्रेषित नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि का कब्जा अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण में है तथा मौके पर अपीलाण्ट ने फसल काश्त कर रखी है। लेकिन तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ ने आक्षेपित नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व मौका पर कब्जा के सम्बंध में कोई जांच नहीं की। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ ने बिना कब्जे के ही नामान्तरण स्वीकृत किया है। कृष्ण द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट को बेचान की जा चुकी थी। जिसकी प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा मौके पर ही अपीलाण्ट को सौंप दिया था जिस पर वर्तमान में अपीलाण्ट ही काश्त कर रही है। पूर्व में उक्त भूमि कृष्ण द्वारा अपीलाण्ट को बेचान की जा चुकी थी जिसकी वसीयत करने की अधिकारिता कृष्ण को नही थी मात्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण कृष्ण को वसीयत करने की अधिकारिता नही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपने पिता की मानसिक स्थिती व बीमारी का फायदा उठाते हुये असभ्यक असर के अधीन उक्त भूमि की कुटरचित वसीयत तैयार कर नामान्तरण करवा लिया जिसे कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 वाद लम्बित होते हुये जिसमें पक्षकार थी समस्त तथ्यो का ध्यान होते हुये भी कपटपूर्ण आश्य से उक्त नामान्तरण खुलवाने की प्रक्रिया को रेस्पोडेन्ट सख्या 01 से मिलकर दुरभि सन्धि कर नामान्तरण गलत व विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत करवाया है। आक्षेपित नामान्तरण जो अपीलाण्ट की पीठ पिछे पारित किया गया है। आक्षेपित नामान्तरण स्वीकृति आदेश दिनांक 23.09.2024 का है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपीलाण्ट को दिनांक 10.11.2024 को धमकी दी कि उक्त भूमि पर आगामी फसल काश्त न करे। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम भी दर्ज हो चुकी है। इस पर अपीलाण्ट द्वारा जांच पड़ताल करने व जमाबन्दी प्राप्त करने पर आक्षेपित नामान्तरण स्वीकृत होने का ज्ञान दिनांक 14.11.2024 को हुआ। इससे पूर्व अपीलाण्ट को आक्षेपित नामान्तरण स्वीकृति आदेश का ज्ञान नही था अपील के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरण सख्या 713/23.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरण सख्या 713/23.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 02 ता 05, ने बहस में कथन किये कि अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या–713 दिनांक 23.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपीलार्थीया को नामान्तकरण संख्या–713 दिनांक 23.09.2024 का प्रारम्भ से ही ज्ञान रहा है। अपीलार्थीया के ससुर स्व० कृष्ण ने उक्त वर्णित 4.137 है। कृषि भूमि का बैयनामा अपीलार्थीया के पक्ष में कर चुका था, उक्त वर्णित कृषि भूमि का कोई बैयनामा अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध नही करवाया गया। प्रश्नगत कृषि भूमि के प्रतिफल स्वरूप कृष्ण अपने जीवनकाल में अपीलार्थीया से 10 लाख रूपये की राशी नगद प्राप्त कर चुका था एवं साथ ही

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा अपीलार्थीया को सौंप चुका था कतई गलत एवं निराधार है। वरवक्त वसीयत कृष्ण शारीरिक एवं मानसिक रूप से हष्ट–पुष्ट था एवं वरवक्त वसीयत वह अपना भला–बुरा समझने में सक्षम था। कृष्ण पुत्र श्रीराम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से दिनांक 29.08.2022 को वसीयत निष्पादित करवाकर अनुप्रमाणित करवाई एवं इसी वसीयत के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तकरण दर्ज हो चुका है एवं जमाबंदी में बतौर हिस्सा अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 6 से 8 के नाम दर्ज हो चुके हैं। कृष्ण पुत्र श्रीराम कुम्हार तहसील व जिला हनुमानगढ के अधिनस्थ ग्राम फतेहगढ बास खिलेरी में निवास करता था एवं अपीलार्थीया ने भी अपना निवास स्थान चक 29 एस डब्ल्यु, फतेहगढ अपील मीमो में दर्ज किया है एवं अभिकथित दीवानी वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि भी तहसील हनुमानगढ के अधीनस्थ चक 25 एस.एस.डब्ल्यु में स्थित है लेकिन अपीलार्थीया ने गवाहान् से दुर्भीसंधी कर फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा की रचना करने हेतु अभिकथित स्टाम्प जिस पर टिकटें चस्पा है, स्टाम्प विक्रेता गुरमीत सुदन रायसिंहनगर से खरीद करना बताकर फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा की रचना की है। अभिकथित फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा में स्टाम्प खरीद करने के दस्तावेज व कृष्ण के अंगुष्ठों की जाँच करवाने हेतु एवं इकरारनामा की कूटरचना हेतु अपीलार्थीया व कातिब दस्तावेज एवं गवाहान् के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। अभिकधित इकरानामा कृष्ण पुत्र श्री राम द्वारा निष्पादित नही करवाया और ना ही अभिकथित इकरारनामा किसी अरायजनवीस या वसीकानवीस के रजिस्टर में दर्ज है और ना ही नोटेरी पब्लिक श्री भरत कुमार भाटी के नोटेरी रजिस्टर में दर्ज है चूंकि अभिकथित इकरारनामा की कूटरचना की गई है. इसलिए यह अभिकथित इकरारनामा नोटेरी रजिस्टर व अरायजनवीस/वसीकानवीस के रजिस्टर में दर्ज नहीं है एवं अभिकथित इकरारनामा पर अरायजनवीस/वसीकानवीस व टंकनकर्ता के नाम अंकित नही है। अभिकथित इकरारनामा का गवाह देवीलाल पुत्र श्री केसूराम अपीलार्थीया की लड़की अर्चना का ससुर है एवं गवाह कृष्ण लाल पुत्र सुरजाराम अपीलार्थीया का सगा मामा है। अपीलार्थीया ने अपने मामा एवं अपनी लड़की अर्चना के ससुर से दुर्भीसन्धी कर फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा की रचना की है। गवाह कृष्णलाल का निवास स्थान गाँव खोड़ां तहसील रावतसर है जबकि इकरारनामा में निवास स्थान हनुमानगढ़ गलत अंकित किया गया है। अभिकथित इकरारनामा की पुश्त पर दर्ज ईबारत कृष्ण पुत्र श्रीराम द्वारा निष्पादित नही करवायी गई एवं इकरारनामा की पुश्त पर दर्ज ईबारत ना तो अनुप्रमाणित है और ना ही किसी अरायजनवीस अथवा वसीकानवीस के रजिस्टर में दर्ज है एवं ना ही कातिब दस्तावेज अथवा टंकनकर्ता का नाम दर्ज है। अपीलार्थीया की हैसियत कृषि भूमि क्रय करने की नहीं रही है। अभिकथित इकरारनामा में वर्णित प्रतिफल राशी मिथ्या दर्ज की गई है। अपीलार्थीया एवं कृष्ण पुत्र श्रीराम के मध्य अभिकथित प्रतिफल राशी का कोई अदान–प्रदान नही हुआ। कृष्ण पुत्र श्रीराम को कृषि भूमि विक्रय करने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी। इकरारनामा में कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि कृष्ण को किस उद्देश्य हेतु रूपयों की क्या आवश्यक्ता थी। अभिकथित इकरारनामा में कृषि भूमि का मुल्य गलत अंकित किया गया है। वर्ष 2017 में अभिकथित इकरारनामा में वर्णित कृषि भूमि का बाजार भाव 3 लाख रूपया प्रतिबीघा था लेकिन अपीलार्थीया ने फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा की रचना करने हेतु मिथ्या राशी एवं मिथ्या बाजार मुल्य का अंकन किया है। अपीलार्थीया के लड़के अजय कुमार व विजय कुमार अपीलार्थीया के साथ एक ही भवन में निवास करते हैं, अपीलार्थीया ने अपने पति जगदीश को उसके जीवनकाल में नाजायज तंग व परेशान किया इस कारण अपीलार्थीया के पति ने दिनांक 22.07.2022 को रेलगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। अपीलार्थीया की प्रश्नगत कृषि भूमि हडप्प करने की कुचेष्टा रही है। इसलिए अपीलार्थीया ने अपने पुत्र अजय कुमार से दुर्भीसन्धी कर अजय कुमार से प्रश्नगत कृषि भूमि के बावत् दिनांक 18.01.2023 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़ में राजस्व वाद बअनवानी अजय कुमार बनाम कृष्ण कुमार अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करवाया जो राजस्व वाद संख्या–21/2023 पर दर्ज हुआ। इस वादपत्र में अजय कुमार ने यह मिथ्या अभिकथन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है। अजय कुमार ने अपने वादपत्र के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र मीरा बअनवानी अजय कुमार बनाम कृष्ण कुमार आदि के नाम से प्रस्तुत किया जो विविध राजस्व प्रकरण संख्या–08/2023 पर दर्ज होकर दिनांक 31.07.2024 को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अजय कुमार का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अपीलार्थीया ने अपने दुसरे पुत्र विजय कुमार पुत्र स्व0 जगदीश से दुर्भीसन्धी कर प्रश्नगत कृषि भूमि को हड़प्प करने के आशय से राजस्व वाद बअनवानी विजय कुमार बनाम गायत्री देवी आदि के नाम से राजस्व वाद संख्या– 167/2024 प्रस्तुत करवाया। जो विविध राजस्व प्रकरण संख्या– 100/2024 पर दर्ज किया गया। इस राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनपत्र में विजय कुमार ने यह मिथ्या

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अभिकथन किये कि अपीलार्थीया मीरां पत्नी भंवरलाल पुत्री कृष्ण व माया पुत्री स्व० सतपाल व मनीष, मुकेश उर्फ राकेश पुत्रगण स्व0 सतपाल ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का मौखिक परित्याग विजय कुमार एवं गायत्री, अर्चना व अजय के पक्ष में किया हुआ है। राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07. 2024 को विजय कुमार का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त कर दिया। राजस्व न्यायालय द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर अजय कुमार व विजय कुमार का कब्जा होना स्वीकार नहीं किया है एवं दोनो राजस्व वादपत्रों के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनपत्र निरस्त होने के बाद अपीलार्थीया ने लालच की भावना के वशीभूत होकर प्रश्नगत कृषि भूमि को हडप्प करने के आशय से गवाहान् व कातिब दस्तावेज एवं नोटेरी पब्लिक से दुर्भीसन्धी कर बदयांतिपूर्वक फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा की रचना कर दिनांक 12.08.2024 को मिथ्या नोटिस प्रेषित करवाया, जिसका विधिवत् जवाब दिनांक 24.08.2024 को दिया गया। कृष्ण लाल पुत्र श्री राम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा व स्वस्थ चित्त एवं विवेक से दिनांक 29.08.2022 को रोबरू गवाहान् वसीयत निष्पादित करवाकर अनुप्रमाणित करवाई। इस वसीयत के जरिये कृष्ण ने प्रश्नगत कृषि भूमि में से अपनी पत्नी रामप्यारी को 1/4 हिस्सा व मीरां पत्नी भंवरलाल पुत्री कृष्ण लाल को 1/4 हिस्सा व अपीलार्थीया गायत्री देवी पत्नी स्व० जगदीश, अजय, विजय एवं अर्चना पि० जगदीश को 1/4 हिस्सा व मनीष, राकेश उर्फ मुकेश एवं माया पिसरान सतपाल को 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि की वसीयत की जिसका अपीलार्थीया व उसके पुत्रों को भली–भाँति ज्ञान रहा है। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2 हनुमानगढ़ में अपीलार्थीया ने दीवानी वाद संख्या–81/2024 के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र बअनवानी गायत्री देवी बनाम मीरां आदि के नाम से विविध दीवानी प्रार्थनापत्र संख्या–88/2024 प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनपत्र में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की अपील अपीलाण्ट्स खारिज फरमाई जावें। बहस में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1.RRT 2023 (1) Page 82
2. RRT 2009 (1) Page 638
3. The Transfer to Property Act, 1982 Sec. 54

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ द्वारा प्रकरण सं0 57/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2024 के क्रम में आदेश क्रमांक भू.अ./2024/3670 दिनांक 19.09.2024 द्वारा वसीयत निर्णय किया गया जिसकी पालना नामान्तरण संख्या 713 दिनांक 23.09.2024 दर्ज है।
2. अपीलांट द्वारा इकरारनामा दिनांक 28.03.2017 द्वारा प्रश्नगत भूमि कृष्णलाल से खरीद करना बताया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी में अपंजीकृत विक्रय पत्र से हक होना अपील मीमों में अंकित किया है। किन्तु खातेदारी अधिकारों की घोषणा का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट हकों का निर्धारण/घोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। इस न्यायालय को मेरी विनम्र राय में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।
3. रेस्पोडेंट द्वारा जो नजीर प्रस्तुत की गई है वह इस मामला में बखुबी चस्पा होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़